सुंदरी एवं अन्य

बनाम

लक्ष्मी एवं अन्य

अगस्त 28,1979

[ए.सी गुप्ता एवं पी.एस. कैलासम जे.जे]

मद्रास अलियासंतना अधिनियम 1949(1949 का मद्रास अधिनियम 9) धारा 3 (बी) (1), (2) (च), (ज),36(3) और हिन्दू अधि. की धारा 7(2) 17,30 के साथ पढे जाते है। समर्पण अधिनियम 1956 (1956 का अधिनियम 30) किसी व्यक्ति को आवंटित सम्पत्ति का विकास अलियासंताना कानून के तहत निसंतार्थी काबरू और हिन्दू धर्म पर उत्तराधिकार अधिनियम का प्रभाव के बारे में बताया गया है।

इस अपील के संबध में समस्त मुकदमें के पक्षकार दक्षिण कनारा जिले में प्रचलित अलियासंताना कानून द्वारा संचालित होते है। वे मंजे के नाम के एक सामान्य पूर्वज के वंशज व कुटम्ब के सदस्य थे। परमेश्वरी और उनके बेटे, बेटी ने मद्रास आलियासंताना अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्ति के विभाजन के लिये अधीनस्थ न्यायाधीश दक्षिण के न्यायालय के समक्ष 1949 के मूल मुकदमा नम्बर दायर किया, मुकदमा खारिज किया गया। लेकिन अपील पर उच्च कोर्ट ने इसे पलट दिया। उच्च न्यायालय ने दिनांक 28.06.61 को एक प्रारम्भिक आदेश पारित किया और मुकदमें को आगे की कार्यवाही के लिये भेज दिया। मुकदमें में पक्षकारों द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 1963 को ज्ञापन के अनुसार शेयरों को स्वीकार करते हुऐ एक संयुक्त ज्ञापन दायर किया गया

और मुकदमें के प्रतिवादी 22 से 24 को कुल 6,15,264 शेयरों में से 85176 शेयर आवंटित किये गये थे।

और प्रतिवादी 22,23,24 कुटम्बा और निसंथाथी काबरू के सभी सदस्य पुरूष थे। प्रतिवादी 23, 24 की मृत्यु पर उनके कानूनी प्रतिनिधियों को जिन्हे रिकार्ड पर लाया गया था, जिसके कानूनी प्रतिनिधियों ने आर.आईए.सं.2266/66 में यह दावा किया गया कि 22 से 24 प्रतिवादियों के कावरूओ को आवंटित हिस्से में से 23 व 24 के प्रतिवादियों के हिस्से में प्रतिनिधित्व करने वाले 1/3 उन्हें आवंटित किया जाना चाहिये। उक्त याचिका को इस आधार पर विरोध किया गया कि प्रतिवादी 22,23,24 में से प्रत्येक अलग अलग निसंताथी कावारू थे और प्रतिवादी 23,24 में प्रत्येक का हिस्सा यदि निसंताथी कावारू को हस्तांतरण हो गया, उसके सबसे नजदीक जो प्रतिवादी 11,12,और 16 का था। 22 वे प्रतिवादी की दलील यह थी कि सभी तीन प्रतिवादी 22,23 और 24 एक एकल निसंताथी कावारू का गठन करते है, जिसे प्रारम्भिक डिक्री के तहत एक एकल या संयुक्त शेयर आवंटित किया गया था और इसलिये, उक्त हिस्सा अंतिम जीवित सदस्य के पास बचा रहा और यह कि धारा 36 की उपधारा (5) के तहत संथाथी कावारू पर कोई हस्तांतरण तब तक संभव नहीं है, जब तक निसंथाथी कावारू का अन्तिम सदस्य नहीं हो जाता और 22 वे प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है।

विचारण न्यायालय ने पाया कि उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.06.61 में प्रतिवादीगण 22 से 24 को संयुक्त रूप से शेयर आवंटित किये गये थे और उसमें कहा गया कि 22,23 और 24 प्रतिवादीयों में से 3 निसंथाथी कावारू बनाया गया, क्योंकि प्रकरण दायर करते समय उनकी मा की मृत्यु हो गई थी और विभाजन प्रभावी हो गया था और जब उनकी मृत्यु हो गई तो सम्पत्ति में कोई अविभाजित हित नहीं था। जो हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधान अधिनियम की धारा 7(2) की तरफ ध्यान आकृषित करता है।

अपीलीय उच्च न्यायालय ने माना कि जब 24 वे प्रतिवादी की मृत्यु हुई तो उसके अपने और प्रतिवादियों की कावारू की मृत्यु में अविभाजित रूची थी, 22 और 23 और उक्त अविभाजित ब्याज की मात्रा एक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 उपधारा 2 के तहत प्रदान की गई और उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जो निर्वसीय उत्तराधिकार से अविभाजित होगा। इसी प्रकार 23 वे प्रतिवादी की मृत्यु हो गई थी तो सम्पत्ति में उसका और 22 वे प्रतिवादी का अविभाजित हित रहा था, उस अविभाजित हित को हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7(2) के तहत निर्धारित किया जाता है, जिसके अनुसार अपील की अनुमति देते हुऐ न्यायालय ने विशेष अनुमति द्वारा अपील को खारिज किया।कहा कि

सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियम के अनुसार आती है।

अभिनिर्धारित किया: तीन प्रतिवादियों को विभाजन में संयुक्त रूप से हिस्सा आवंटित किया गया था। परमेश्वरी देवी द्वारा दायर मुकदमें में प्रतिवादी 22,23 और 24 को पक्षकार बनाने का निर्णय किया गया, क्योंकि वे अपनी मा के कावारू से सम्बन्धित थे। विभाजन की स्थिति में अपने हिससे को आवंटन के लिये अपने लिखित बयान में बताया गया, इसके अलावा संयुक्त ज्ञापन में कुल हिस्सेदारी 6,15,264 में से 85,176 दर्शायी गई है। (409 ई 410 सी.डी)

तीनों प्रतिवादियों ने निसंताथी कावारू के रूप में अपना हित प्राप्त किया, और विभाजन पर वे मद्रास अलियासंताना अधिनियम 1949 की धारा 36(3)के तहत उन्हें आवंटित सम्पत्तिमें केवल आजीवन हित के हकदार माना है। (411 सी.डी.)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4 में यह सर्वव्यापी प्रावधान है कि अलियासंताना अधिनियम के प्रावधान चाहे प्रथागत हों या वैधानिक लागू होना बंद हो जायेगें, जहा तक वे प्रावधानों के साथ असंगत है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम जो 17 जून 1956 को लागू हुआ था अतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वसीयत द्वारा हस्तांतरण करे निर्वसीय उत्तराधिकार है। (411 जीएच)

उक्त अधिनियम की धारा 7(2) में यह व्याख्या की गई है कि किसी हिन्दू के कुटम्ब या कावारू की सम्पत्ति में हिस्सेदारी को कुटम्ब या कावारू में हिस्सा माना जावेगा। जैसा कि मामला उसके पास होता है कि यदि उस सम्पत्ति में प्रत्येक व्यक्ति का बटवारा हो सकता है, जो उसकी मृत्यु के ठीक पहले कुटम्ब व कावारू के सभी सदस्यों के बीच किया गया हो, जैसा भी प्रकरण हो और जो ऐसा दावा करने का हकदार हो या नही जो जीवित रहना चाहता है। अलियासंताना कानून के तहत विभाजन है या नहीं, और ऐसा हिस्सा उसे पूरी तरह से आवंटित किया जाना जावेगा। परिणाम यह है कि अलियांसंताना कुटम्ब या कावारू में हिन्दू की सम्पत्ति में अविभाजित हित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किया गया है। और इसमें हिन्दू का हिस्सा मान लिया जावे। (412 जी.एच413 ए)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अलियासंताना कुटम्ब या कावारू एक सदस्य वसीयत द्वारा कुटम्ब की सम्पतियों में अपने हित का निस्तारण कर सकता है। जबकि अलियासंताना कानून व्यक्तिगत ऐसा नहीं कर सकता। धारा 30(1) का स्पष्टीकरण पुरूष हिन्दू को कुटम्ब या कावारू में सक्षम बनाता है, जिसे उसके द्वारा निस्तारण में सक्षम सम्पत्ति माना जाता है और धारा 7(2)

के अनुसार 30(1) कुटम्बा की सम्पत्ति में अविभाजित हित से सम्बन्धित होंगे। (413 बी.डी.)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 17 आलियासंताना कानून के तहत एक हिन्दू पुरूष की अलग सम्पत्ति के निर्वसियत उत्तराधिकार से सम्बन्धित है। इसमें यह प्रावधान है कि धारा 8,10,15 और 23 कुछ संशोधनों के साथ यह प्रभावी होगें। उन व्यक्तियों के संबध में जो अलियासंताना कानून द्वारा शासित होते हैं और धारा 8 में यह प्रावधान है कि बिना वसीयत के मरने वाला हिन्दू पुरूष की सम्पत्ति उक्त धारा में निर्दिष्ट अनुसार हस्तांतरण की जायगी। अलियासंताना कुटम्ब या कावारू से सम्बन्धित पुरूष यदि हिन्दू की मृत्यु हो जाती है तो एक निर्वसियत की सम्पत्ति का उत्तराधिकार धारा 17 द्वारा संशोधन 8 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा और इसका प्रभाव यह होगा कि उत्तराधिकार अलियासंताना कानून के तहत प्रदान किया जावेगा। और हिन्दू महिलाओं पर धारा 10 के तहत यह लागू नहीं होगा जो अनुसूची के वर्ग में उत्तराधिकार के बीच सम्पत्ति के वितरण का प्रावधान करता है। धारा 15 उत्तराधिकार अधिनियम महिलाओं के लिये सामान्य अधिकार प्रदान करता है और अलियासंताना कानून के तहत उत्तराधिकार अधिनियम के नियम महिलाओं पर भी लागू किये गये है। जो हिन्दू पुरूष और महिलाओं के अलग अलग सम्पत्तियों के उत्तराधिकार के प्रावधान करता है। अधिनियम

की धारा 14 एक हिन्दू महिला के पास मौजूद सम्पत्ति को बढाती है, चाहे वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम शुरू होने के पहले या बाद में अर्जित की गई हो और वह सम्पत्ति को पूर्ण मालिक के रूप में रूप में रखेगी न कि सीमित मालिक के रूप में। हिन्दू पुरूष केवल सीमित अधिकार का ही हकदार होगा। अलियासंताना कानून की धारा 36(5) के प्रावधानों के अनुसार विभाजन के समय निसानथाथी कावारू को आवंटन सम्पत्ति का उपयोग केवल जीवन हेतु किया जाता है और उसके सदस्य की मृत्यु होने पर यह सम्पत्ति हस्ताणतरण हो जावेगी। लेकिन जब एक हिन्दू की मृत्यु अलियासंताना कानून शासित होने पर हो जाती है तो उसकी मृत्यु के बाद सम्पत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी को हस्ताणतरण हो जाती है, वह अलियासंताना कानून के तहत उसको वापिस नहीं किया जावेगा। (413 एच, 414 ए,सी, 418 डी.ई.)

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद एक हिन्दू का अविभाजित हित धारा 7(2) के अनुसार ही हस्ताणतरित होगा। जबकि अलग सम्पत्ति के मामले में यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों को हस्ताणतरित होगा। इसमें भले ही निसंथाथी कावारू का सीमित हित हो सकता है। जो अलियासंताना अधिनियम की धारा 36(5) के तहत कुटम्ब या निकटतम संबधी कावरू को समर्पित होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत यह हस्ताणतरण

होगा। अलियासंताना अधिनियम की धारा 36(5) के तहत हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों को रास्ता देना होगा। जो उत्तराधिकार को एक तरह से अलग तरीके से निर्धारित करता है। (414 जी.एच,415 ए)

इस मामले में सम्पत्ति प्रतिवादी 22,23,24 के बीच अविभाजित पाई गई थी, और प्रत्येक प्रतिवादी की मृत्यु पर उसके अविभाजित हित उसके उत्तराधिकारी को हस्ताणतरित जो जावेगें। (415 बी)

और तर्क यह दिया गया कि बटवारे का मुकदमा दायर करने पर जब बटवारा हो गया था तो माँ की मृत्यु हो गई थी , इसलिये अलग अलग कावारू थे, जो सही नहीं थे। प्रतिवादी 22,23 और 24 के मामले में जो पुरूष हैं अलियासंताना अधिनियम की धारा 3 (बी)(पप) के तहत कावारू का अर्थ उस पुरूष की मा का कावारू होगा और परिभाषा के अनुसार पुरूष उसमें कावारू नहीं हो सकता। धारा 35(2) में यह स्पष्ट किया गया है कि कुटम्ब के एक पुरूष सदस्य को अध्याय 6 के प्रयोजन के लिये कावरू माना जाता है, जो कुटम्ब के विभाजन से सम्बन्धित है। और मामले में परमेश्वरी और उसके दो बच्चों के कुटम्बा संम्पत्ति के अपने हिस्से के विभाजन के लिये और अलग अलग हिस्से के लिये मुकदमा दायर किया था, जबकि मुकदमा किसी सदस्य द्वारा किया जाता है तो अध्याय 6 के प्रावधान लागू नहीं होते है और यह समझा जाता है कि प्रावधान केवल

विभाजन का दावा करने का विचार करने पर ही लागू होते है। आगे जब वादी ने मुकदमा दायर किया तो ऐसी कोई धारणा नहीं थी कि कुटम्ब का गठन करने वाले सभी कावारूओं की स्थिति में कोई विभाजन था। मुकदमा दायर होने से निशंदेह वादी कावारू की संयुक्त स्थिति में व्यवधान होगा। लेकिन अन्य कुटम्ब कावरू संयुक्त बने रह सकते हैं यह तथ्य का प्रश्न है। (415 ई.एच,416 ए)

जालजा शेडथी एवं अन्य बनाम लक्ष्मी शेटटी और अन्य (1974) 1 एस.सी.आर. 707, और सुंदरा अडप्पा और अन्य बनाम गिरिजा और अन्य, वायु 1962 मैसूर, 72 समझाया और प्रतिष्ठित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील क्रमांक 1543/1969.

मैसूर उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश दिनांक 13.08.1968 की विशेष अपील द्वारा अनुमत क्र.931/67 ।

आर. बी दातरा एवं ललित भारद्वाज अपील कर्ताओं की ओर से,

के.एन भटट रेस्पोडेन्टस की ओर से.

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

कैलाशम जे. - यह अपील मैसूर सीआरपी नं. 931/1967 में मैसूर उच्च न्यायालय के फैसले अनुसार आदेश के खिलाफ इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति आरआईए में सिविल जज मंगलोर द्वारा पारित

आदेश के खिलाफ पुनर्रिक्षित की अनुमति देती है। जिसमें 1966 का नम्बर 2206 और 1950 की संख्या 91 है।

मामले के तथ्यों को संक्षेप रूप में बताया गया है कि इस मुकदमें पक्ष में दक्षिण कना जिले में प्रचलित अलियासंताना कानून द्वारा संचालित होता है जो मंजे के नाम के एक सामान्य पूर्वज के वंशज और कुटम्ब के सदस्य थे परमेश्वरी व उनके बेटा बेटीने मद्रास अलियासंताना अधिनियम 1949 (मद्रास अधिनियम पगए 1949) के प्रावधानों के अनुसार सम्पत्तियों के वितरण के लिये अधिनस्थ न्यायाधीश की अदालत के समक्ष 1950 का मूल मुकदमा सं0 91 स्थापित किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया और वचाव पक्ष को बरकरार रखते हुऐ कहा गया कि यह मुकदमा जिला मुंसिंफ मंगलोर की फाईल पर 1924 के मूल मुकदमा नं. 314 में किया गया अवार्ड डिक्री का मामला था जो उपधारा 6 के भीतर है। विभाजन की राशि थी। मद्रास अलियासंथाना अधिनियम की धारा 36 के अनुसार विभाजन के लिये एक और मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं पाया गया। हांलाकि विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि विभाजन का मुकदमा विचारण योग्य नहीं है। लेकिन विभाजन के लिये डिक्री होने की स्थिति में कई शाखाओं के सदस्य शेयरों के हकदार है और उन्हें निर्धारण के लिये रिकार्ड और निष्कर्ष के आधार पर आगे बढा जावे।

वादी की अपील पर कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिनस्थ न्यायालय के फैसले को उलट दिया और माना कि जिला मुंसिफ की फाई पर 1924 के मूल दावा सं. 314 के अवार्ड डिक्री माना, जो मैंगलोर विभाजन के समान नहीं था। और विभाजन का मुकदमा चलने योग्य माना और 28 जून 1961 को उच्च न्यायालय ने एक प्रारम्भिक डिक्री पारित की और मुकदमें को आगे की कार्यवाही के लिये भेज दिया और दोनों पक्ष शेयरों के संबध में सहमत हुऐ और न्यायालय ने विभाजन के लिये एक प्रारम्भिक डिक्री का नोटिस दिया और पैराग्राफ 17 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पाया था। शेयरों को अपने फैसले में निर्दिष्ट किया। शेयरों का निर्धारण 25 सितम्बर 1963 को पक्षकारों को संयुक्त ज्ञापन पर किया गया। और प्रतिवादियों में से 22 से 24 को आवंटित कुल शेयर 6,15,264 में से 85,176 शेयर थे। प्रतिवादी 22,23,और 24 सभी कुटम्ब के पुरूष सदस्य है और निसंथाथी कावरू है। 24 वे प्रतिवादी की प्रारम्भिक डिक्री पारित होने से पहले ही दिनांक 10 जून 1957 को मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी और बच्चों को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकार्ड पर लाया गया। प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद 09 मार्च 1962 को 23 वे प्रतिवादी की मृत्यु हो गई? उसकी पत्नी और बच्चों को कानूनी प्रतिनिधि के रूप में रिकार्ड पर लाया गया। अंतिम डिक्री कार्यवाही के दौरान 24 वे प्रतिवादी की 1966 की पुनः आरआईए सं. 2259 की कानूनी प्रस्तुतियां दायर की गई और 23 वे

प्रतिवादी के प्रतिनिधियों ने 1966 की आरआईए सं. 2266 दायर की, जिसमें दावा किया गया कि 22 से 24 तक के संरक्षक को आवंटित हिस्से में से एक तिहाई 24 वे और 23 वे प्रतिवादी के हिस्से या हित का प्रतिनिधित्व करते हुऐ उन्हें आवंटित किया जाये। इस याचिका का विरोध इस आधार पर किया गया था कि प्रतिवादी 22 ,23 और 24 में से प्रत्येक एक अलग निसंथाथी कावरू था और प्रतिवादी 24 और 23 में से प्रत्येक की मृत्यु पर उसका हिस्सा या ब्याज उसके निकटतम संथाथी कावरू को हस्तांतरित हो गया, जो प्रतिवादी थे। जिनमें प्रतिवादी 11,12 और 16 सबंधित थे। 22 वे प्रतिवादी की दलील यह थी कि सभी तीन प्रतिवादी 22,23 और 24 ने एक एकल निसंथाथी कावरू का गठन किया था। जिसे प्रारम्भिक डिक्री के तहत एक एकल या संयुक्त हिस्सा आवंटित किया गया था और इसलिये उक्त हिस्सा अंतिम जीवित सदस्य (22 वे प्रतिवादी)के पास बचा रहा और यह कि धारा 36 की उपधारा (5)एक संथाथी कावरू पर कोई हस्तान्तरण तब तक संभव नहीं है, जब तक कि निसंथाथी कावरू के अंतिम सदस्य यानि 22 वे प्रतिवादी मर नहीं जाता।

निचली अदालत ने पाया कि उच्च न्यायालय के के आदेश दिनांक 20.06.1961 में प्रतिवादियों को 22 से 24 को संयुक्त रूप से शेयर आवंटित किये गये थे। इसने दोनों आवेदकों यानि प्रतिवादी 23 और 24 के कानूनी प्रतिनिधियों के साथ साथ जीवित प्रतिवादी 22 की दलीलों को

खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी 22,23 और 24 ने तीन अलग अलग निसंथाथी कावरू का गठन किया, क्योंकि उनकी माॅं की मृत्यु हो गई थी। मुकदमा दायर करने के समय विभाजान प्रभावित हुआ था और जब उनकी मृत्यु हुई तो सम्पत्ति में अविभाजित हित था ताकि सुंदरी बनाम लक्ष्मी (जे.कैलासम) के प्रावधान को आकर्षित किया जा सके। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7(2) ट्रायल कोर्ट ने दोनों आई.ए को खारिज कर दिया 2259 एवं 2266/66.

अपील पर उच्च न्यायालय ने सिविल जज के इस निष्कर्ष से सहमति जताते हुऐ कहा कि प्रतिवादियों 22,23 और 24 का स्पष्ट इरादा यह था कि उनमें से तीन को संयुक्त रूप से एक हिस्सा आवंटित किया जाए, यह माना गया कि जब 24 वे प्रतिवादी की मृत्यु हो गई तो उसका अपने और प्रतिवादी 22 और 23 की कावरू की सम्पत्तिया में अविभाजित हित था। और उक्त अविभाजित ब्याज की मात्रा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) के तहत निर्धारित किया गया। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुऐ अपील स्वीकार करली कि सम्पत्ति हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में निहित निर्वसीयत उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार आती है।

इस अपील में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह है कि उच्च न्यायालय ने बचाव करने में गलती की थी कि प्रतिवादी 22, 23

और 24 एक निसंथाथी कावरू के पुरूष सदस्य थे और तीन प्रतिवादियों ने तीन अलग अलग निसान का गठन नहीं करते थे। थाथी कावरू के द्वारा वादपत्र, लिखित बयान, सहमति ज्ञापन और उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री पर विचार करने पर हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष से सहमत है। यह मुकदमा परमेश्वरी और उसके बेटे और बेटी ने ओ.एस. में वादी के रूप में दायर किया था। 1950 के के ओ.एस. सं. 91 में सम्पत्ति के बंटवारे और उसका हिस्सा उसे आवंटित करने की प्रार्थना की गई है। मुकदमें में प्रतिवादी 22,23 और 24 को पक्षकार बनाया गया, क्योंकि वे अपनीमा के कावरू के थे। लिखित बयान के पैराग्राफ 10 में प्रतिवादी 22,23, और 24 ने कहा कि उन्हें पार्टियों के अधिकारों के अनुसार पारिवारिक सम्पत्तियों के विभाजन पर कोई आपत्ति नहीं हैं, लेकिन उन्होने कहा कि विभाजन की स्थिति में उनका हिस्सा उन्हें आवंटित किया जाना चाहिये और आगे वादी को लिखित बयान की अनुसूची में सम्पत्तियों का कब्जा सौपने का निर्देश दिया जाना चाहिये। तीनों प्रतिवादियों के द्वारा संयुक्त रूप से याचिका दायर की गई, और उनकी दलील थी कि विभाजन की स्थिति में उनका हिस्सा उन्हें आवंटित किया जाना चाहिये। बयान स्पष्ट रूप से यह इंगित करता है तीनों प्रतिवादियों ने मिलकर पारिवारिक संम्पत्तियों मं अपने हिस्से के आवंटन

के लिये कहा। शेयरों की मात्रा को लेकर पार्टीया में कोई विवाद नहीं था। निचली अदालत ने दर्ज किया।

> **"दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत हैं कि वादपत्र के संबध में मुकदमे का विभाजन तय किया जाये। अचल सम्पत्तियों को शेडयूल करें, वे इस बात पर भी सहमत हैं कि शेयरों को ट्रायल कोर्ट के फैसले के पैरा 17 में बताये अनुसार विभाजित किया जायेगा। हम निर्देश देते हैं वाद पत्र अनुसूची अचल सम्पत्तियों के विभाजन के लिये एक प्रारम्भिक डिक्री तदानुसार तैयार की जाए।**

निचली अदालत के फैसले के पैरा 17 में कहा गया है:

> **"यदि इस मुकदमें का फैसला सुनाया जाना है, तो जिन शेयरों के कई पक्ष हकदार हैं, वे 25.09.63 को पार्टीयों द्वारा दायर संयुक्त ज्ञापन में निर्धारित किये जायेगें, जो इस प्रकार है।"**

प्रतिवादी 22,23 और 24 के 615264 की कुल हिस्सेदारी में से 85176 शेयर बताये गये है। दलीलों पर विचार करने पर सहमति ज्ञापन और प्रारम्भिक डिक्री उच्च न्यायालय के पास आई, निष्कर्ष यह है कि शेयर तीन प्रतिवादीयों को संयुक्त रूप से आवंटित किये गये थे, हम उच्च

न्यायालय द्वारा निकाले गये, निष्कर्ष से सहमत हैं और मानते हैं कि तीन प्रतिवादियों को बटवारे में संयुक्त रूप से हिस्सा आवंटित किया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य की खोज से अपील समाप्त नहीं होगी। उन्होने प्रस्तुत किया कि कानून में उस सम्पत्ति में कोई अविभाजित हित नहीं था जो प्रतिवादियों 24 और 23 के पास उनकी मृत्यु के समय थी, जैसा कि धारा 7 (2) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत इस पहलू पर प्रस्तुतिकरण दी है, जो तय करना है।

(1) क.प्रतिवादी यह दावा नहीं कर सकते कि वे अपनी मा के कावरू के सदस्य थे, क्योंकि उनकी मा उस समय मर गई थी, जब विभाजन का मुकदमा दायर किया गया।

ख.धारा 35 (2) के स्पष्टीकरण के तहत कुटम्ब के एक पुरूष सदस्य को कावरू माना जाता है। इसलिये तीनों सदस्यों में से प्रत्येक एक अलग कावरू होगा और इसलिये उनके बीच कोई विभाजित हित नहीं था।

2. कुटम्ब के सदस्यों में से किसी एक द्वारा विभाजन का मुकदमा दायर करने से स्थिति के विच्छेद पर प्रभाव पडेगा और इसलिये कुटम्बा के कई सदस्यों के बीच अब कोई अविभाजित हित नहीं रह गया है।

विवादों से निपटने से पहले अलियांसंथाना कानून की मुख्य विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। मद्रास उच्च न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश पी.आर.सुंदरा अययर द्वारा मालाबार और आलियासंथाना कानून

पर प्रसिद्व ग्रथ में सम्पादित किया है। मद्रास उच्च न्यायालय के एक प्रख्यात वकील बी. सीताराम राव, जो दक्षिण कनारा के रहने वाले थे, अलियासंथाना कानून में विरासत का एक नियम बताया गया , जिसके तहत सम्पत्ति भतीजे के वंश में आती है। ''अलियासंथाना कानून'' शब्द मलयालम शब्द मरूमक्कथायम कासटीक कैनरी समकक्ष है। अलियासंथाना कानून मरूमक्कथयम प्रणाली से थोडा अलग है। इसकी मुख्य विशेषताओं में निष्पक्षता, महिलाओं की वंशावली में वंश और एक कानूनी संस्था के रूप में विवाह की गैर मान्यता में यह पूरी तरह से मरूमक्कथायम कानून से सहमत है। आलियासंथाना कानून में पुरूष महिलाओं के साथ समान बराबर मालिक है। और संयुक्त प्रबंधन को मान्यता दी गई है। जबकि मरूमक्कथायम कानून प्रबंधन में शामिल होने के अधिकार को मान्यता नहीं देता है। अलियासंथाना कानून में किसी व्यक्तिगत सदस्य की अलग सम्पत्ति का उत्तराधिकार निकटतम उत्तराधिकारीयों को होता है न कि मरूमक्कथायम कानून में तारवाड एमएस को। अलग अलग सम्पत्तियों का उत्तराधिकारियों का उत्तराधिकार मद्रास अलियासंथाना अधिनियम 1949, धारा 18 से 24 द्वारा मान्यता प्राप्त है। वर्तमान मामले के तथ्यों पर यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादियों 22,23, और 24 ने निसंथाथी के हित का आनंद लिया है। मद्रास अलियासंथाना अधिनियम की धारा 36(3) के तहत कावारू विभाजन पर केवल जीवन ब्याज के हकदार है। विचारणीय प्रश्न

यह उठता है कि विभाजन एवं उत्तराधिकार संबधी अलियासंथाना अधिनियम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से कितना प्रभावित हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 17 जून 1956 को लागू हुआ । प्रस्तावना में कहा गया कि यह अधिनियम हिन्दूओं के बीच निर्वसियत उत्तराधिकारसे सम्बन्धित कानून में संशोधन करता है। यद्यपि प्रस्तावना केवल " निर्वसियत उत्तराधिकार" को संदर्भित करती है, क्याेंकि शीर्षक " हिन्दू अधिनियम" इंगित करता है कि यह हिन्दूओं के बीच उत्तराधिकार के कानून से संबधित है, न कि केवल बिना वसीयत के उत्तराधिकार से, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लिखित है। इस कानून ने उत्तराधिकार के कानून में आमूल-चूल परिवर्तन ला दिया है। अधिनियम की धारा 2 में दिये गये प्रावधान के अनुसार यह कानून सभी हिन्दूओं पर लागू होता है। यह स्पष्ट किया गया है कि कानून न केवल दयाभागा और मिताक्षरा कानून द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू होता है, बल्कि हिन्दू कानून की अलियासंथाना, मरूमक्कथयम और नंबुद्री प्रणालियों द्वारा शासित व्यक्तियों पर लागू होता है।अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों को अधिभावी अनुप्रयोग देती है और बताती है कि अधिनियम में निपटाये गये किसी भी मामले के संबध में सभी मौजूदा कानून चाहे अधिनियम के रूप में हो या अन्यथा, जो अधिनियम के अनुरूप निरस्त किये जाते है। इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से ठीक पहले लागू कोई भी अन्य कानून हिन्दूओं पर लागू होना बंद

हो जाता है, जहा तक वह अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान से असंगत है। इसलिये यह स्पष्ट है कि आलियासंथाना कानून के प्रावधान चाहे प्रश्नगत हों या वैधानिक लागू नहीं होंगे, जहां तक वे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत है।

बिना वसीयत मरने वाली हिन्दू की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की योजना धारा 8 से 13 में प्रदान की गई है। धारा 15 और 16 बिना वसीयत के मरने वाली महिला की सम्पत्ति के उत्तराधिकार के लिये अधिकार प्रदान करती है। धारा 17 विशेष रूप से मालाबार और अलियासंथाना कानून द्वारा शासित व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू करने का प्रावधान करती है। धारा 14 उत्तराधिकार से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन यह प्रावधान करती है कि किसी महिला हिन्दू के पास मौजूद कोई भी सम्पत्ति चाहे वह इस अधिनियम के शुरू होने से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, उसे उसके पूर्ण मालिक के रूप में रखा जाऐगा, न कि सीमित मालिक के रूप में।

धारा 7(2) वह धारा है, जो कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में अविभाजित हित के हस्ताणतरण से सम्बन्धित है और इसे पूर्ण रूप से निकाला जा सकता है।

धारा 7 (2) जब एक हिन्दू जिस पर अलियासंथाना कानून लागू होता, यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता इस अधिनियम के

प्रारम्भ होने के बाद मर जाता है, उसकी मृत्यु के समय कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में अविभाजित हित होता है, जैसा भी मामला हो, सम्पत्ति में उसका हित वसीयतनामा या बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा हस्ताणतरित होगा, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत होगा, न कि अलियासंथाना कानून के अनुसार।

स्पस्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में एक हिन्दू के हित को कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में हिस्सा माना जायेगा, जैसा भी मामला हो, वह होगा।यदि उस सम्पत्ति का प्रति व्यक्ति बटवारा उसकी मृत्यु से ठीक पहले कुटम्ब या कवारू के सभी सदस्यों के बीच जैसा भी मामला हो किया गया था तो जीवित रहने पर क्या वह इस तरह के बटवारे का दावा करने का हकदार था या अलियासंथाना कानून के तहत नहीं, और ऐसा हिस्सा पूरी तरह से उसे आवंटित किया गया माना जायेगा।"

प्रथागत कानून के तहत और मद्रास अलियासंथाना अधिनियम 1949 के तहत अलियासंथाना कुटम्ब या कावरू में एक हिन्दू की सम्पत्ति में अविभाजित हित अलियासंथाना कानून के प्रावधानों के अनुसार हस्तांतरित होता है, लेकिन धारा की शुरूआत के बाद 7(2) वसीयतनामा या निर्वसियत उत्तराधिकार द्वारा हस्ताणतरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत है। धारा 7(2) के स्पष्टीकरण में प्रावधान है कि किसी

हिन्दू की कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में ब्याज, जैसा भी मामला हो, कुटम्ब या कावरू की सम्पत्ति में हिस्सा माना जायेगा, जो उसके हिस्से में आता है, अगर उस सम्पत्ति का प्रति व्यक्ति बटवारा उसकी मृत्यु से तुरत पहले कुटम्ब या कावरू के सभी सदस्यों के बीच किया गया था, जैसा भी मामला हो,फिर चाहे वह जीवित रहने के हकदार हो या नहीं। अलियासंथाना कानून के तहत इस तरह के विभाजन का दावा करना है या नहीं, और ऐसा हिस्सा उसे पूरी तरह से आवंटित किया गया माना जावेगा। स्पष्टीकरण का परिणाम यह है कि अलियासंथाना कुटम्ब या कावरू में हिन्दू की सम्पत्ति में अविभाजित हित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किये गये अनुसार हस्तांतरित किया जाऐगा और हिन्दू को हिस्सा उसे बिना किसी शर्त के आवंटित किया गया माना जावेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 में यह प्रावधान है कि अलियासंथाना कुटम्ब या कावरू का एक सदस्य वसीयत द्वारा कुटम्ब की सम्पत्तियों में अपने हित का निपटान कर सकता है। अलियासंथाना कानून के तहत व्यक्ति वसीयत द्वारा कुटम्ब में अपने हित का निपटान कर सकता है। धारा 30 (1) में कुटम्ब या कावारू में हिन्दू पुरूष को कुटम्ब या कावारू में अपने हित का निपटान करने में सक्षम बनाता है, जिसे उसके द्वारा निपटान सक्षम सम्पत्ति माना जाता है। इस प्रकार जबकि धारा 7(2) में प्रावधान है कि जब एक हिन्दू जिस पर अनियासंथाना कानून लागू होता है,

यदि यह अधिनियम पारित नहीं हुआ होता , इस अधिनियम के प्रारम्भ हाने के बाद मर जाता है , उसकी मृत्यु के समय कुटम्ब की सम्पत्ति में अविभाजित हित होता है या कावरू जैसा भी मामला हो। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के तहत पुरूष हिन्दू को वसीयत द्वारा कुटम्ब या कावरू में अपने अविभाजित हित का निपटान करने में सक्षम बनाता है, जबकि ये दोनों धाराऐं कुटम्ब या कावारू की सम्पत्ति में अविभाजित हित से सम्बन्धित है। धारा 17 अलियासंथाना कानून के तहत एक हिन्दू पुरूष की अलग सम्पत्ति के उत्तराधिकार से संबधित है। इसमें प्रावधान है कि धारा 8 ,10,15 और 23 उन व्यक्तियों के संबध में कुछ संशोधनों के साथ प्रभावीहोगी जो अलियासंथाना कानून द्वारा शासित होगें। धारा 8 में प्रावधान है कि बिना वसीयत के मरने वाले पुरूष हिन्दू की सम्पत्ति धारा में निर्दिष्ट अनुसार हस्तांतरित कीजायेगी। धारा 8 के अनुसार बिना वसीयत के मरने वाले अलियासंथाना कानून के कुटम्बा या कावरू से सम्बन्धित पुरूष हिन्दू की सम्पत्ति का उत्तराधिकार धारा के प्रावधानों द्वारा शासित होगा। धारा 17 के अनुसार अलियासंथाना कानून के तहत प्रदान किया गया उत्तराधिकार लागू नहीं होगा। धारा 10 अनुसूची के वर्ग में उत्तराधिकारियों के बीच सम्पत्ति के वितरण का प्रावधान करती है। धारा 15 हिन्दू महिलाओं के मामले में उत्तराधिकार के नियम को उपधारा के तहत प्रदान किये गये संशोधनों के साथ अलियासंस्थाना कानून

के तहत हिन्दू महिला पर लागू किया गया है। धारा 17 की उपधारा (2) में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 23 अलियासंथाना कानून द्वारा शासित हिन्दू पर लागू होती है। इस प्रकार धारा 17 जो धारा 8,10,15 और 23 को कुछ संशोधनों के साथ अलियासंथाना कानून के तहत एक हिन्दू पर लागू करता है, एक हिन्दू पुरूष और एक महिला की अलग अलग सम्पत्ति के उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद, धारा 7(2) के प्रावधान अलियासंथाना कानून ई एफ द्वारा शासित हिन्दू के अविभाजित हित के संबध में लागू होते है। जबकि धारा 30 के स्पष्टीकरण के प्रावधान परिवार में उसके हित से सम्बन्धित वसीयत के मामले में लागू होते हैं, अलियांसंधाना कानून में धारा 17 में प्रावधान है कि धारा 8,10,15 और 23 संशोधन के साथ हिन्दू की अलग सम्पत्ति पर लागू होगें।

धारा 14 एक हिन्दू महिला के पास मौजूद सम्पत्ति को बढाती है। चाहे वह हिन्दू धर्म के प्रारम्भ से पहले या बाद में अर्जित की गई हो, यह प्रावधान करके कि कवह सम्पत्ति को मालिक के रूप में रखेगी, न कि सीमित मालिक के रूप में। यह प्रावधान हिन्दू महिलाओं पर लागू होता है। और इसका किसी हिन्दू पुरूष के हाथ में सम्पत्ति बढाने पर कोई प्रभाव नहीं पडता है। हिन्दू पुरूष केवल उन सीमित अधिकारों का हकदार होगा जो उस पर लागू कानून के तहत प्रदान किये गये है, लेकिन जब एक बार मृत्यु पर हिन्दू उत्तराधिकार पर खुलता है। धारा 7 (2) में प्रावधान है कि

हिन्दू के अविभाजित हिस्से में हिस्सेदारी हिन्दू उत्तराधिकार के तहत उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाता है। उसके अलग अलग पक्ष के मामले में उत्तराधिकार की धारा 17 द्वारा संशोधित अधिनियम की धारा 8,10 ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी हिन्दू की अलग सम्पत्ति के संबध में मद्रास अलियासंथाना अधिनियम के प्रावधानहै कि अधिनियम के नियम 19,20,21,22,23 और 24 के प्रावधान लागू होगें। अलग सम्पत्ति कुटम्ब या कावारू अलियासंथाना परिवार को वापिस नहीं मिलती है। विभाजन के समय यदि कोई हिस्सा लेने वाला व्यक्ति निसंथाथी कावारू है तो उसे कुछ परिस्थितियों में आवंटित सम्पत्तियों में केवल जीवन यापन करना होगा और यदि वह अस्तित्व खंड में है तो वह सम्पत्ति वापस संथाथी कावरू में वापस आ जायेगी। मद्रास अलियासंथाना अधिनियम के 36(3) में निसंथाथी कावरू को विभाजन के समय आवंटित की गई सम्पत्ति का प्रावधान है और इसमें अन्तिम व्यक्ति की मृत्यु के समय जीवन हित केवल कुटम्ब या जहा कुटम्बा स्थापित होता है, पर हस्तांतरित किया जायेगा। उसी पर या बाद के विभाजन पर, निकटतम संथाथी कावारू या कावरू की संख्या में निसंथाथी कावरू को आवंटित हस्तांतरित सम्पत्ति पर जिसमें आजीवन ब्याज होता है। अलियासंथाना की धारा 36(5) द्वारा निर्धारित हस्तांणतरण को हिन्दू उत्तराधिकर अधिनियम की धारा 8 के

प्रावधानों को रास्ता देना होगा, जो उत्तराधिकार का एक अलग तरीका निर्धारित करता है।

उल्लेखित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव यह हे कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद धारा 7(2) के तहत जबकि अलग सम्पत्ति के मामले में यह उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होगी, जैसा कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में प्रावधानित है, भले ही एक निसंथाथी कावरू का मद्रास अलियासंथाना अधिनियम में निर्धारित हस्ताणतरण के अनुसार सीमित हित हो सकता है। अब लागू नहीं है। हस्ताणतरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत होगा।
इस मामले में सम्पत्ति प्रतिवादियों 22,23 और 24 के बीच अविभाजित पाई गई है, और इसलिये स्थिति यह है कि प्रतिवादियों में से प्रत्येक की मृत्यु पर उसका अविभाजित हित उसके उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जायेगा।

अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने धारा के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया। मद्रास अलियासंथाना अधिनियम की धारा 35(2) में कहा गया है कि कुटम्ब के प्रत्येक पुरूष सदस्य को कावरू माना जायेगा और विभाजन के लिये मुकदमा दायर करने पर यह माना जाना चाहिये कि कुटम्ब के प्रत्येक पुरूष सदस्य ने खुद को अलग कर लिया है। कुटम्ब को धारा के तहत परिभाषित किया गया है। धारा 3 (सी) का अर्थ है विरासत के

अलियासंथाना कानून द्वारा शासित सम्पत्ति के समुदाय के साथ संयुक्त परिवार बनाने वाले व्यक्तियों का एक समूह। कावरू को धारा 3(ब) और

(1) के तहत परिभाषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

"3(बी) (1) "कवारू" जिसका प्रयोग एक महिला के संबध में किया जाता है का अर्थ है, व्यक्तियों का समूह जिसमें वह महिला उसके बच्चे और महिला वंशमें उसके सभी वंशज शामिल है।

किसी पुरूष के संबध में प्रयुक्त "कवरू" का अर्थ उस पुरूष की मा का कवरू है।

प्रतिवादी 22, 23 और 24 के मामले में जो पुरूष है, कवरू का अर्थ उस पुरूष की मा का कवरू होगा। परिभाषा के तहत पुरूष स्वयं कवरू नहीं हो सकता। धारा 35(2) के स्पष्टीकरण के आधार पर कुटम्ब के एक पुरूष सदस्य को अध्याय अप के प्रयोजन के लिये कवरू माना जाता है। अध्याय अप कुटम्ब के विभाजन से सम्बन्धित है। इस मामले में परमेश्वरी और उनके दो बच्चों ने कुटम्ब सम्पत्ति के अपने हिस्से के बटवारे और अलग कब्जे के लिये मुकदमा दायर किया था जब मुकदमा किसी पुरूष सदस्य द्वारा दायर नहीं किया जाता है तो अध्याय अप के प्रावधान लागू नहीं होगें। परिभाषा केवल विभाजन का दावा करने के लिये अधिकार पर विचार करने में लागू होती है। इसके अलावा जब वादी ने मुकदमा दायर किया तो इसमें कोई अनुमान नहीं था कि कुटम्बा का गठन करने वाले सभी

कावरूओं की स्थिति में कोई विभाजन था। मुकदमा दायर करने से निसंदेह वादी कावरू की स्थिति का विभाजन हो जायेगा, लेकिन अन्नू कावरू कुटुम्बा में संयुक्त बने रह सकते है। अन्य कावरू में सम्मिलित रहे या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। इस मामले में यह पाया गया कि यह मानने के लिये कोई सामग्री नहीं है कि प्रतिवादियों 22. 23 और 24 के बीच स्थिति का विभाजन हुआ था। इस दृष्टिकोण में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि विभाजन के लिये मुकदमा दायर करने पर या उस स्थिति में मा की मृत्यु हो जाने के कारण अलग अलग कावरू होने की स्थिति को नकारना होगा। धारा 35 (2) के तहत अपीलकर्ताओं को मदद नहीं करेगा। जलजा शेडथी और अन्य बनाम लक्ष्मी शेडथी और अन्य ए, सी और और उसकी बहिन और उनके बेटे अलियासंथाना कुटुम्ब के सदस्य थे, सी ने 15 जनवरी 1957 को अपीलकर्ताओं के पक्ष में अपना हित वसीयत करते हुऐ एक वसीयत निष्पादित की। 25 जनवरी 1957 को उत्तरदाताओं ने सी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि वह विभाजित परिवार का प्रबंधक था, वह एक निशंथाथी कावरू था, जबकि उत्तरदाता संथाथी कावरू थे, इस प्रकार केवल दो कावरू थे और उन्होने सी और अपने बीच सम्पत्तियों को विभाजित करने के निर्णय लिया था। उत्तरदाताओं ने परिवार की सम्पूर्ण चल और अचल सम्पत्ति में से अपने कावरू के हिस्से की मांग की। सी ने यह भी व्यक्त किया कि उसे उत्तरदाताओं द्वारा किये

गये विभाजन के दावे पर कोई आपत्ति नही है और वह इसे लागू करने के लिये तैयार है, बशर्ते उत्तरदाताओं ने सहयोग किया हो। उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद 13 फरवरी 1957 को सी की मृत्यु हो गई।

23 मार्च 1957 को अपीलकर्ताओं ने सी की वसीयत के तहत एक अलग हिस्से का दावा करने वाले उत्तरदाओं को एक नोटिस दिया। उत्तरदाताओं ने उसी दिन नोटिस का जबाब देते हुऐ इस बात से इंकार किया था अपीलकर्ताओं के पास कोई हिस्सा था, क्योंकि उनके अनुसार सी केवल अलियासंथाना कानून के तहत जीवन-हित का हकदार था। इस न्यायालय द्वारा यह माना गया कि न तो कोई कुटम्ब था ना ही सी कावरू हो सकता है क्योंकि स्थिति मे विभाजन के बाद दो कावरू केवल एक कावरू बन गये, अर्थात प्रतिवादी नं. 1, सी की बहन। यह माना गया कि कि सी एक कवरू नहीं है। मद्रास अधिनियम की धारा 3 (बी) के अंर्तगत 3 (बी) (पप) कोई महिला वंश नहीं होने के कारण केवल सी की माँ ही कावरू हो सकती है, लेकिन सी नहीं। यदि सी कावरू नहीं है तो कावरू की कोई सम्पत्ति नहीं है, जिसका निपटान उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 के तहत किया जा सकता है। यहाँ तक कि इस धारा के स्पष्टीकरण के तहत सी की स्थिति के विच्छेद पर जो जीवन हित था, वह वसीयत द्वारा निपटाऐ जाने में उचित रूप से सक्षम नहीं है " और न ही यह

उत्तरजीविता द्वारा हस्तांतरित किया जा सकता है। चूंकि वह अब कावरू नहीं है और इसलिये कावरू की सम्पत्ति में कोई रूची नहीं है, सी का जीवन-हित भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 (2) के तहत पूर्ण हित में नहीं बढाया गया है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 का भी जीवन-हित के रूप में लाभ नहीं उठाया जा सकता है। अलियासंथाना कानून के तहत किसी पुरूष का हित धारा 14 के तहत नहीं बढाया जा सकता।

जालजा शेडथी और अन्य बनाम लक्ष्मी शेठी और अन्य (सुप्रा)15 जनवरी 1958 को चंदयया शेटटी द्वारा अपनी पत्नी और बच्चों के पक्ष में अपना हित छोडने के लिये निष्पादित वसीयत से सम्बन्धित है। 22 जनवरी को वसीयत के निष्पादन के एक सप्ताह बाद, पहली प्रतिवादी यानी चंदयया शेटी की बहन और उनके बच्चों ने चंदयया शेटी को एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि उन्होने चंदयया शेटी और उनके बीच सम्पत्ति को विभाजित करने का फैसला किया है और एक हिस्से की मांग की है। चंदयया शेटी का बाद में 13 फरवरी 1957 को निधन हो गया। 23 मार्च 1957 को चंदयया शेटी की पत्नी और उनके बच्चों ने चंदयया शेटी की वसीयत के तहत एक अलग हिस्से का दावा करते हुऐ नोटिस दिया। यह पाया गया कि विभाजन की मांग पर स्थिति का विभाजन था। हालांकि मेटस और सीमा के आधार पर विभाजन नहीं

हुआ था। केवल दो कावरू थे और ऐसी परिस्थिति में यह दलील नहीं दी जा सकता थी कि अन्य कावरू के बीच संयुक्त स्थिति बनी रहे। इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 (2) के अर्थ में सहसंयोजक का कोई अविभाजित हित नहीं था। यदि कोई अविभाजित हित नहीं होता तो स्पष्ट है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 (2) के दृष्टीकोण लागू नहीं हो सकते। वसीयत के प्रभाव पर विचार करते हुऐ न्यायालय ने मैसूर उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के सुंदरा अदप्पा और अन्य बनाम गिरिजा एवं अन्य के दृष्टीकोण से सहमति व्यक्त की है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 30 (1)में पहले प्रतिवादी का अधिकार, जिसने अपनी सम्पत्तियों के 75/360 वे हिस्से के लिये प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त की थी, वसीयत द्वारा निपटान करने में सक्षम हो गया और इसलिये पहले प्रतिवादी के बच्चे उसकी शर्तो के अनुरूप इसके हकदार होेंगें। मैसूर उच्च न्यायालय ने धारा 30 (1) में उल्लेखित लाभ का उचित ठहराया। अपने कुटम्ब में एक पुरूष हिन्दू हित के लिये प्रतिबद्व है और उपरोक्त टिप्पणीयों को मंजूरी देते हुऐ इस न्यायालय ने प्रारम्भिक निर्णय में अपने हिस्से के रूप में उसके द्वारा प्राप्त सम्पत्ति को लागू नहीं किया है। मद्रास अधिनियम और उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान कानून के उपरोक्त कथन जो हमारे सामने उठाये गये कई तर्को को पूरा करते है। इस न्यायालय ने इस बात को खारिज कर दिया कि

उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 17 का प्रभाव मैसूर मामले में मान्य नहीं था, यह मानते हुऐ कि यह प्रश्न उनके समक्ष या मैसूर मामले में प्रासांगिक नहीं था, क्योंकि उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 17, धारा 8,10, 15 और 23 के प्रावधान लागू होते हैं, जो निर्वसियतता से संबधित हैं। जैसा कि हम वर्तमान मामले में प्रतिवादियों 24 और 23 की सम्पत्ति के अतिक्रमण उत्तराधिकार से चिंतित है, निर्णय इस मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते है।

प्रत्यर्थीयों के लिये विद्वान वकील की दलील है कि प्रतिवादियों 24 और 23 की सम्पत्ति को भी अलग अलग सम्पत्ति माना जाता है, उत्तराधिकार धारा के प्रावधानों के आधार पर हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार होगा। धारा 17 हिन्दू उत्तराधिकार पर विचार करना होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का अध्याय 2 जो निर्वसीयत उत्तराधिकार से सम्बन्धित है, हिन्दूओं के लिये लागू होता है और इस अध्याय के प्रावधान उस कानून पर लागू होगें जो अधिनियम के शुरू होने से ठीक पहले लागू था। इसलिये अलियासंथाना हिन्दूओं के उत्तराधिकार से संबधित प्रावधान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों द्वारा होगें, अलियासंथाना कानून द्वारा नहीं। धारा 7 (2) और 17 एच हिन्दू अलियासंथाना परिवर से सम्बन्धित एक हिन्दू के कुटम्ब कावरू की सम्पत्ति में अविभाजित हित के हस्ताणतरण से सम्बन्धित है। अनुभाग में निर्दिष्ट संशोधनों के साथ

धारा 8,10,15 और 23 के प्रावधान करता है। धारा 17 अलियासंथाना कानून के तहत एक हिन्दू की अलग सम्पत्ति के हस्ताणतरण के लिये है। धारा 36 (5) निसंथाथी कावरू को आवंटित सम्पत्ति का उपयोग केवल जीवन-हित के रूप में किया जाता है और इसके अंतिम सदस्यों की मृत्यु के के समय कुटम्बा को हस्तांतरित कर दिया जावेगा। धारा 36 (5) के तहत जीवन ब्याज का हस्ताणतरण होता है। जब अलियासंथाना द्वारा शासित एक हिन्दू ब्याज से ग्रस्त होकर मर जाता है, उसकी मृत्यु के बाद सम्पत्ति हिन्दू अधिग्रहण अधिनियम के तहत हस्ताणतरित होती है न कि अलियासंथाना अधिनियम के तहत और इसलिये कुटम्ब में वापस नहीं लौटती है। यह न्यायालय जलजा शेडथी और लक्ष्मी शेडथी और अन्य में (सुप्रा) में अलिया कानून द्वारा शासित हिन्दू द्वारा निष्पादित वसीयत के तहत अधिकारों का निर्णय करते समय पृष्ठ 719 " इसी प्रकार तर्क की समान समानता पर जब दो कावरू होते हैं तो विभाजन की मांग उन्हें बाधित कर देगी और चंदयया शेटी अब यह दावा नहीं कर सकते हैं कि उनके पास उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 7 (2) के अर्थ में अविभाजित है, और सम्पत्ति में उसका कोई अविभाजित हित नहीं है, उसके हित को पूर्ण सम्पत्ति में विस्तारित नहीं किया जा सकता है और न ही उसका हित बिना वसीयत के उत्तराधिकार द्वारा उसके उत्तराधिकारियों पर लागू हो सकता है" हमारे द्वारा रेखांकित शब्द निर्वसियत उत्तराधिकार से

सम्बन्धित है और न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि वह उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों का उल्लेख नही कर रहा है क्योंकि यह निर्वसियत उत्तराधिकार से सम्बन्धित है। इसलिये निर्वसियत उत्तराधिकार से सम्बन्धित ये टिप्पणीयां इस प्रकार हैं : मृत्युदण्ड की प्रकृति - धारा 7 (2) के तहत अलग सम्पत्ति को पूर्ण सम्पत्ति एच में विस्तारित नहीं किया जाता है। लेकिन मृत्यु पर यह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रदान किये गये अनुसार उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित हो जाती है। इसलिये यह वापस कुटम्ब में वापिस नही जायेगी, बल्कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत केवल हिन्दू को प्रदान किये गये अनुसार उत्तराधिकारियों को होगा। इसी प्रकार पृष्ठ 721 पर टिप्पणी में कहा गया है कि ‘‘इस मामले में भी जैसा कि पहले ही कहा गया है चंदयया शेटी का कोई कावरू नहीं है, और अलग होने पर उनके पास केवल जीवन-हित था, जो एक विरासत योग्य सम्पत्ति नही है और वसीयत द्वारा इसका निपटान नहीं किया जा सकता है। न ही यह यह निर्वसियत के आधार पर विकसित हो सकता है। "निर्वसीयतता पर हस्तांतरण का संदर्भ फिर से आज्ञाकारी आदेश की प्रकृति में है।

दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने पर हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत है और इस अपील को लागत सहित खारिज करते है।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **प्रतापसिंह मीना** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित कि या गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं कि या जासकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।

***